110

111/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/2191

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2017

किशोरीलाल पुत्र श्री भगवानलाल ब्राह्मण, निवासी–ग्राम वीरपुर, तहसील वीरपुर जिला श्योपुर (म.प्र.) ———आवेदक

बनाम

रामस्वरूप पुत्र श्री जगनू तेली, निवासी–ग्राम वीरपुर, तहसील वीरपुर जिला श्योपुर (म.प्र.) ———अनावेदक

<u>कार्यालय तहसीलदार, तहसील वीरपुर जिलाश्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक–3/2016–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 09/06/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यह कि, ग्राम मौजा वीरपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–995 रकवा 015 हेक्टर का आवेदक भूमि स्वामी एंव आधिपत्यधारी है।
2. यह कि, अनावेदक वीरपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–996/1 रकवा 0.210 हेक्टर का भूमि स्वामी है, सर्वे क्रमांक–995 एंव 996/1 एक दूसरे से लगे हुये हैं।
3. यह कि, आवेदक द्वारा अपनी भूमि सर्वे क्रमांक–995 रकवा 0.15 हेक्टर का प्रकरण क्रमांक–107/2010–11/अ–12 द्वारा सीमांकन कराया गया था, इस प्रकरण में आवेदक दिनांक 04/01/2011 द्वारा सीमांकन आदेश किया गया था, जिसमें आवेदक का अन्य किसी भूमि पर अर्थात् अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक--996/1 पर कोई कब्जा नही पाया गया था।

Hmt. (Rd-1)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/2191

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी वीरपुर जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी वीरपुर</u>**	